रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1971/चैत्र 30, 1893
No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1971/CHAITRA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th April 1971

S.O. 1738.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1971.

2. In Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, the existing entry against item No. 65 *i e.* "Hardware of all kinds" shall be deleted.

[No. E(C)O. 1968/AM(56).]

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1738.—आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 की पांचवीं संज्ञा दी जाएं ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग—बी में मद संख्या 65 के सामने की वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "सभी प्रकार की लोह निर्मित वस्तुएं" को हटाया जाएगा ।

[संख्या ई (सी) 0,1968/ए एम (56)]

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971